फाइल सं0 2(1)सीएसी/एन्फ-2/एफएसएसएआई/खंड-6

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

प्रवर्तन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 16वीं बैठक दिनांक 3 फरवरी, 2016 को इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाग लेने वालों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

2. निदेशक (प्रवर्तन) ने सीएसी के सभी सदस्यों का स्वागत किया और एफएसएसएआई के नए सीईओ का परिचय कराया। कार्रवाई कार्यसूची के अनुसार आरंभ हुई।

कार्यसूची 16.1

हित का प्रकटन

सदस्यों ने हित के प्रकटन के फार्म भरे और प्रस्तुत किए।

कार्यसूची 16.2

सीएसी की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सीएसी की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसे अंगीकार किया गया।

कार्यसूची 16.3

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

3.1 दिनांक 13.10.2015 को हुई सीएसी की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया गया।

3.2 श्री सलीम वैल्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ ने बताया कि यद्यपि एफएसएसएआई द्वारा रेलवे बोर्ड को एक अर्ध सरकारी पत्र भेज दिया गया है, तथापि रेलवे द्वारा खाद्य उत्पादों, विशेषकर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, का परिवहन बिना ताप नियंत्रण व्यवस्था के करने संबंधी मामले का अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। यह मामला डॉ. अमिताव दत्ता, खाद्य सुरक्षा अपर आयुक्त/कार्यकारी निदेशक, भारतीय रेल के साथ उठाया गया, जिन्होंने बताया कि यह मामला कोंकण रेलवे के कार्य-क्षेत्र में आता है। यह सूचित किया गया कि कोंकण रेलवे, रेलवे बोर्ड के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत न आने के कारण इसे कोंकण रेलवे के साथ अलग से उठाया जाए। साथ ही अपर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), भारतीय रेल को भी अनुरोध किया गया कि वे इस मामले को कोंकण रेलवे के साथ उठाएँ।

3.3 इस मामले और रेलवे से संबंधित अन्य मामलों का समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि भारतीय रेल अधिकारियों के साथ एक अलग बैठक की जाएगी।

3.4 इसके अतिरिक्त कट्स के श्री जॉर्ज चेरियन ने टिप्पणी की कि अनेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अभी तक पिछली सीएसी बैठक के कार्रवाई मुद्दे के अनुसार अपनी वेबसाइट पर संचालन समितियों के गठन संबंधी विवरणों को अद्यतन नहीं किया है और उसके समाधान का अनुरोध किया। इस मामले पर चर्चा की गई और श्री हेमंत राव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया कि संचालन समितियों का गठन राज्य का मामला है और उसे सीएसी की बैठकों की कार्यसूची के मुद्दे के रूप में न उठाया जाए।

3.5 अध्यक्ष, एफएसएसएआई और सीईओ, एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संचालन समितियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता संगठनों और अन्य हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया, क्योंकि इससे एफएसएसएआई की जनता में पहुँच व्यापक और सशक्त बनेगी तथा सिस्टम में अधिक पारदर्शिता लाने में भी सहायता मिलेगी।

मानकों एवं विनियम में स्टेटस एवं नवीनतम संशोधनों के बारे में प्रस्तुतीकरण

1. सहायक निदेशक, विनियम ने मानकों और विनियमों के नवीनतम अपडेटों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने हाल में अधिसूचित मानकों और विनियमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। सीएसी के सदस्यों ने हाल के अपडेटों को नोट किया।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई ने सदस्यों को इस बात से परिचित कराया कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के अधिक मानकों को समय पर अधिसूचित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से अनुरोध किया कि वे प्राधिकरण को एफ.ए.क्यू बनाने में मदद करने के लिए नए विनियमों के बारे में सुझाव दें, जिन्हें एफएसएसएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। सीईओ, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से अनुरोध किया कि वे इन अपडेटों को अपने क्षेत्र में सभी हितधारकों की जानकारी में लाएँ।

कार्यसूची 16.4

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खाद्य विनियमन तंत्र के लिए स्टाफ की उपलब्धता की पुनरीक्षा

4.1 निदेशक (प्रवर्तन) ने एफ एस ओ और डी ओ के पदों में कमी के विश्लेषण पर प्रकाश डाला। यह विश्लेषण विनियमन स्टाफ में कमी की पहचान करने के लिए किया गया था। एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एफ एस ओ और डी ओ की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थिति की जाँच की और इस बात पर बल दिया कि एफ एस ओ खाद्य विनियमन प्रणाली के सर्वप्रमुख कार्यकर्ता हैं और प्रवर्तन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों में पर्याप्त संख्या में एफ एस ओ की नियुक्ति आवश्यक है। उन्होंने आयुक्तों को उनकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पर्याप्त पद बनाने के लिए अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के वित्त विभागों से प्रस्ताव को जल्दी पास कराने का भी अनुरोध किया। सीईओ, एफएसएसएआई ने इस बात पर भी विचार किया कि विश्लेषण के लिए लिये गए अनुमानित नमूने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकता नहीं भी हो सकती है और राज्यों/सघ शासित क्षेत्रों को स्टाफ में गैप का आकलन करके उस गैप को दूर करने की कार्रवाई करनी चाहिए।

4.2 अपर्याप्त श्रमशक्ति के मामले पर सुश्री रजनी सिबल, संयुक्त सचिव, डीएडीएफ, कृषि मंत्रालय ने सूचित किया कि तत्कालीन दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित दुग्ध आयुक्तों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों से संबंधित सभी मामलों में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी सेवाओं का उपयोग दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों पर निगरानी रखने और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिमी बंगाल ने इस सुझाव का समर्थन किया और आगे कहा कि दुग्ध आयुक्तों को एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अभिनामित अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है1 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आयुक्तों ने सुझाव दिया कि लाइसेंसिग प्रणाली को एकरूप बनाना चाहिए तथा एक ही विभाग अर्थात् एफएसएसएआई के अधीन रखना चाहिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात ने सुझाव दिया कि दूध, मांस इत्यादि खाद्य की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार संयुक्त/उप खाद्य आयुक्तों के अलग पद बनाए जाने चाहिए और दुग्ध आयुक्तों को इन पदों के तहत अधिसूचित किया जा सकता है।

4.3 सीईओ, एफएसएसएआई ने सुझाव दिया कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों से संबंधित प्रवर्तन कार्य दुग्ध आयुक्तों को देने के मामले पर विचार किया जा सकता है और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई राय बनाई जा सकती है।

कार्यसूची 16.5

एफबीओ का पंजीकरण, आईटी पहलों की झलक, लाइसेंसिंग विनियमों का सरलीकरण और पुनरीक्षा

5.1 एफबीओ की लाइसेंसिंग और पंजीकरण के संबंध में गैप विश्लेषण को नोट किया गया और सीईओ, एफएसएसएआई ने आयुक्तों को अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आकलन करने का अनुरोध किया।

5.2 सीआईटीओ, एफएसएसएआई ने आईटी पहलों और एफएलआरएस के नवीनतम अपडेटों और स्थिति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने ऑनलाइन होने के लिए शेष चार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एफएलआरएस अपनाए जाने के मामले पर ध्यान दिया। चर्चा के दौरान कुछ राज्यों ने कहा कि नेट की समस्या एफएलआरएस अपनाए जाने में प्रमुख रुकावट है, जिसके बारे में एफएलआरएस के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि डैटा को ऑफलाइन स्टोर करने और फिर उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। ऑफलाइन डैटा एंट्री और डैटा एंट्री आपरेटरों की लागत को वहन करने के संबंध में यह विचार किया गया कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उसकी लागत का आकलन करके राज्य वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि राज्य/संघ शासित क्षेत्र ऑफलाइन डैटा एंट्री की लागत वहन करने में अक्षम हैं तो वे प्राधिकरण को अलग-अलग सूचित करें।

5.3 कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के श्री बेजो मिश्रा ने इस मामले पर जोर दिया कि एफबीओज को प्रलेख (डोक्यूमेंट) भौतिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए अनावश्यक रूप से कहा जा रहा है, जबकि उन्हें एफएलआरएस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड कर दिया जाता है। इसके जवाब में कहा गया कि चूँकि एफएलआरएस का इसके प्रारंभिक काल में अंगीकरण एफबीओ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी दोनों की तरफ से सामंजस्य बैठाने से होगा, यह प्रक्रिया तुरत प्रभाव से ऑनलाइन नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसके लिए चरणबद्ध योजना बनाई गई थी। चूँकि वर्तमान परिदृश्य के अनुसार अधिकांश राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों ने अपने आपको नए सिस्टम के अनुसार ढाल लिया है, अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एफएलआरएस हार्ड कॉपी पहुँचाने के सिस्टम को बंद कर दिया गया है और उसे शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भी अपना लिया जाएगा। यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में प्रलेखों (डोक्यूमेंट्स) का दो बार प्रस्तुत किया जाना बंद कर दिया जाएगा।

5.4 सीआईटीओ, एफएसएसएआई ने समिति को प्रवर्तन गतिविधियों के टेबलेट और मोबाइल प्रिंटर उपलब्ध कराने के तथ्य से अवगत कराया। सीईओ, एफएसएसएआई द्वारा सूचित किया गया कि पहले इस पहल को 500 टेबलेट और प्रिंटर उपलब्ध कराकर प्रायौगिक आधार पर लागू किया जाएगा और उसके बाद प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस स्कीम में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाएगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने इस पहल की प्रशंसा की और अपने क्षेत्र में इसे प्रायौगिक आधार पर लागू करने की इच्छा जाहिर की। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल ने सूचित किया कि राज्य पहले ही इस पहल को लागू करने की प्रक्रिया में है। सीईओ, एफएसएसएआई ने आयुक्त को उसका विवरण प्राधिकरण को तुरंत भेजने का अनुरोध किया।

5.5 सीआईटीओ, एफएसएसएआई ने समिति को एफएसएसएआई और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के मध्य संप्रेषण के एकल बिंदू के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त हो रही शिकायतों का निपटान सरल बनाने के लिए

शिकायतें हैंडल करने का पोर्टल बनाने के प्रस्ताव से अवगत कराया। श्री सुखविंदर सिंह, डी ओ, चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ में शिकायत हैंडल करने के मॉडल का विवरण दिया। उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने हॉट लाइन नं0 102 बनाई है, जिसके अंतर्गत शिकायती 102 नंबर पर काल करता है, जिसे ड्यूटी पर तैनात एफ.एस.ओ को डाइवर्ट कर दिया जाता है और शिकायत निपटान की प्रक्रिया 30-35 घंटों में हो जाती है। महाराष्ट्र, गोआ आदि अन्य राज्यों ने भी अपने राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए ऐसी ही व्यवस्था होने के बारे में समिति को सूचित किया। सीईओ, एफएसएसएआई ने चंडीगढ़ मॉडल और अन्य राज्यों के मॉडलों की सराहना की और राष्ट्रीय खाद्य शिकायत हैंडलिंग पोर्टल तैयार करने के लिए अपने एसओपी मुख्यालय को साझा करने के लिए कहा।

5.6 एफएलआरएस की तरह डी ओ लॉग-इन पर आईडी जनरेशन की तिथि का उल्लेख होने (जो मुद्दा डी ओ, चंडीगढ़ द्वारा उठाया गया) और हर श्रेणी के एफबीओ के लिए प्रलेखों को स्पष्ट रूप से बताने (जो जम्मू एवं कश्मीर द्वारा उठाया गया) की व्यवस्था करने को नोट किया गया। सीईओ, एफएसएसएआई ने आगे सूचित किया कि चूँकि लाइसेंसिंग और पंजीकरण विनियमों में संशोधन करने के लिए अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं, इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ ने कहा कि नवीकरण के लिए सभी के लिए एक ही तिथि की व्यवस्था करने से आवेदन इकट्ठे हो जाएँगे और ऐसा करना उचित प्रतीत नहीं होता। अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राय थी कि विलंब शुल्क संबंधी प्रावधान रखा जाए, फिर भी वैधता की तिथि के बाद विलंब शुल्क की पुनरीक्षा की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को अनुरोध किया गया कि वे कार्यसूची में शामिल बिंदुओं का विश्लेषण करें और उनके बारे में अपनी टिप्पणी दें।

कार्यसूची 16.6

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियों की पुनरीक्षा

6.1 सीईओ, एफएसएसएआई ने निगरानी गतिविधियाँ बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात को बल देकर कहा कि नया दृष्टिकोण मार्गदर्शन देने और अनुपालन कराने पर है।

6.2 निदेशक (गुणता आश्वासन) ने समिति को सूचित किया कि वर्तमान में प्रयोगशालाओं की क्षमताओ का पूरा उपयोग नहीं उठाया जा रहा है और राज्य/संघ शासित क्षेत्र उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग उठाएँ। निगरानी गतिविधियाँ चलाने के लिए स्टाफ की कमी होने के बारे में उत्तर प्रदेश द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि एक राष्ट्रीय जोखिम आकलन सिस्टम की स्थापना की जा रही है और एक सशक्त प्रणाली बनाने के लिए निगरानी गतिविधियों के माध्यम से सूचना इकट्ठी करनी आवश्यक है। निदेशक (गुणता आश्वासन) ने द्रुत परीक्षण किटों का उपयोग करने पर बल दिया, जो निगरानी कार्यों के लिए अधिक नमूने लेने में सहायक होंगी।

6.3 निदेशक (गुणता आश्वासन) ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए दिल्ली में आरंभ की जाने वाली प्रायौगिक परीक्षण योजना का विवरण दिया और सीएसी के सदस्यों ने उसे नोट किया। उन्होंने आगे सूचित किया कि दूध का परीक्षण करने के लिए एक एसओपी तैयार किया जाएगा और संगठित एवं गैर-संगठित क्षेत्रों से प्राप्त किए गए दूध के नमूनों के आँकड़ों को अलग-अलग किया जाएगा।

कार्यसूची 16.7

प्रवर्तन मशीनरी की जवाबदेही और नियंत्रण

7.1 सीईओ, एफएसएसएआई ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान सिस्टम में प्रवर्तन मशीनरी की जवाबदेही के बारे में कमियाँ हैं और इसीलिए एफबीओ को परेशान करने के कई मामले ध्यान में लाए गए हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा

आयुक्तों को कार्यसूची में उल्लिखित बिंदुओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया और प्रवर्तन गतिविधि को मार्गदर्शन देने के लिए एक प्रलेख तैयार करने को कहा।

7.2 डॉ. परमानंद, संयुक्त आयुक्त, हरियाणा को मार्गदर्शन प्रलेख के लिए एसओपी तैयार करने का अनुरोध किया गया, जिसको अंतिम रूप देने के लिए एक समिति द्वारा जाँचा जाएगा।

7.3 सीईओ, एफएसएसएआई ने यह भी अवलोकन किया कि बैठक में अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि नहीं आते और कहा कि इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रो के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा जाएगा।

7.4 मॉडल रेलवे स्टेशन का मामला भी उठाया गया और यह निर्णय लिया गया कि उसके विवरणों को रेल अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में तैयार किया जाएगा।

कार्यसूची 16.8

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तिकरण

8.1 निदेशक (क्यूए) ने समिति को राज्यों की प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। श्री बेजोन मिश्रा द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रयोगशाला नेटवर्कों को सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जाए।

8.2 सीईओ, एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना आरंभ की। योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए 60 प्रतिशत की एकबारगी सहायता और 2 वर्षों तक आवर्ती लागत एफएसएसएआई द्वारा वहन की जाएगी और शेष 40 प्रतिशत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वहन की जाएगी। राज्य/संघ शासित क्षेत्र कृपया अपने राज्य में एक प्रयोगशाला और बड़ा राज्य होने पर दो प्रयोगशालाओं की पहचान करें, जिनके उन्नयन के लिए इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष निधि उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने आयुक्तों से अनुरोध किया कि वे संपूर्ण उन्नयन के लिए बजट अनुमान तैयार करें और वर्ष के वित्तीय बजट में 40 प्रतिशत लागत को शामिल करें।

8.3 उन्होंने समिति को पीपीपी मॉडल तैयार करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं की सेवाएँ लेने के प्रस्ताव के बारे में भी सूचना दी और बताया कि उसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ साझा किया जाएगा। विमटा लैब्स के डॉ. वसीरेड्डी ने कहा कि प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल प्रत्यायन लेने के लिए उपकरणों के लिए मान्यता लेना एक महत्वपूर्ण कसौटी होगी। उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने भी एनएबीएल प्रत्यायन लेने के लिए एक परामर्शी की मांग की। राज्यों के खाद्य विश्लेषकों को एनएबीएल अपेक्षाओं से अवगत कराने के लिए सीईओ, एफएसएसएआई ने डॉ. वसीरेड्डी को उनके लिए तीन-दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया।

8.4 खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रयोगशालाओं के उन्नयन संबंधी मार्गदर्शन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मार्गदर्शन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

8.5 प्रयोगशाला कार्मिकों की क्षमता-निर्माण के मामले पर निदेशक (क्यूए) ने समिति को सूचित किया कि खाद्य विश्लेषकों की परीक्षा काफी समय से लंबित होने के कारण खाद्य विश्लेषकों का चयन करने की संपूर्ण कार्रवाई सीएफटीआरआई, मैसूर द्वारा की जाएगी। उन्होंने उचित समय पर पीजी डिप्लोमा कोर्स आरंभ करने के बारे में भी सूचना दी, जिससे कनिष्ठ विश्लेषकों को परीक्षा/साक्षात्कार देने में सहायता मिलेगी।

कार्यसूची 16.9

विशिष्ट मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण

9.1 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मामलों पर की गई कार्रवाई को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने नोट किया।

कार्यसूची 16.10

जागरूकता पैदा करना और आईईसी गतिविधियाँ

10.1 सीईओ, एफएसएसएआई ने आईईसी गतिविधियों के प्रति जागरूकता पैदा करने की ओर ध्यान दिलाया जिस पर पूर्व में उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को उनके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चलाई जा रही आईईसी गतिविधियों से अवगत कराने का अनुरोध किया। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही आईईसी गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

केरल: खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल ने खाद्य सुरक्षा एवं खान-पान की स्वस्थ आदतों के बारे में स्कूली बच्चों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम से अवगत कराया।

गुजरात: खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात ने गुजरात राज्य में मोबाइल शिक्षा के माध्यम से श्रव्य-दृश्य (आडियो-विजुअल) प्रदर्शनी के माध्यम से खाद्य जागरूकता कार्यक्रम से अवगत कराया।

गोआ: खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ ने बेकरी, एल्कोहलीय पेय आदि एफबीओ के लिए एक-दिवसीय आईईसी गतिविधि से अवगत कराया।

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में खाद्य विक्रेताओं के लिए 11 फरवरी, 2016 को एक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनके पास खाद्य पदार्थों में साधारण मिलावट की जाँच करने के लिए एक चल (मोबाइल) परीक्षण वैन भी है।

मध्य प्रदेश : उन्होंने एक गली की पहचान करके उसमें सुरक्षित जल, प्रकाश, कूड़ेदान इत्यादि की व्यवस्था करके उसे मॉडल स्ट्रीट में बदला है।

मिजोरम: उन्होंने एफबीओ के लिए एक कार्यशाला की है।

कर्नाटक: उन्होंने मैसूर में खाद्य विक्रेताओं/फेरी वालों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया और खाद्य सुरक्षा के बारे में प्रचार सामग्री वितरित की। बंगलौर में भी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।

पंजाब: उन्होंने पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से विभिन्न जिलों में दुग्ध परीक्षण के लिए 8 चल वैन आबंटित की हैं।

10.2 सीईओ, एफएसएसएआई ने इन प्रयासों की सराहना की और सभी राज्यों को उनके यहाँ चलाई गई सभी आईईसी गतिविधियों की योजना/रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्यों में एनजीओ की पहचान करके सघन जागरूकता एवं आईईसी गतिविधियाँ चलाने के लिए 15 लाख रुपये की सहायता देने की एक अन्य योजना की शुरुआत की। विभिन्न एनजीओ से प्राप्त प्रस्ताव संबंधित राज्यों को भेज दिए जाते हैं और सीईओ, एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इन प्रस्तावों का अध्ययन करने और उनमें से अथवा नए प्रस्तावों से अधिकतम नवाचार वाले प्रस्तावों की छंटनी करने का अनुरोध किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त अपनी विस्तृत सिफारिशें एफएसएसएआई को भेज सकते हैं और तदनुसार निधि जारी कर दी जाएगी। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भी अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अधिक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

10.3 श्री बेजोन मिश्रा ने प्रस्ताव किया कि जागरूकता का एक अखिल भारतीय अभियान चलाया जाए और लोक हित के अंतर्गत टेलीविजन पर भी विज्ञापन दिए जाएँ। सुश्री मीतू कपूर ने सीआईआई द्वारा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में "स्ट्रीट फूड–विद्यार्थी प्रशिक्षण परियोजना" नामक पहल के बारे में बताया और कहा कि वे बाद में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन गलियों को अपनाएँगे। सीईओ, एफएसएसएआई ने एफबीओ के भौगोलिक दृष्टि से प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया।

कार्यसूची 16.11

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कानूनी मामले

11.1 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मुकदमों की संख्या कम करने के लिए सुधार के नोटिस देने का मामला नोट किया।

11.2 मंत्रालय एवं एफएसएसएआई के रिसपोंडेंट होने के मामलों में श्री हेमंत राव ने सूचित किया कि नीतिगत निर्णयों संबंधी अभियोजनों को छोड़कर शेष अन्य सभी अभियोजनों की जिम्मेदारी प्राय: राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों की है। सीईओ, एफएसएसएआई स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि (श्री ए. वी. गवई) को इसे नोट करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची 16.12

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत लाइसेंस लेने/पंजीकरण कराने के लिए खाद्य कारबारियों के लिए समय-सीमा बढ़ाना

12.1 सीईओ, एफएसएसएआई ने बताया कि समय-सीमा बढ़ाने का मामला काफी समय से विवाद का विषय रहा है। चूँकि बढ़ाई गई समय-सीमा फिर निकट है, उन्होंने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इसे बढ़ाने के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लाइसेंसों के अंतरण के लिए समय-सीमा को न बढ़ाया जाए क्योंकि इससे एफबीओ को गलत संदेश जा रहा है।

12.2 समय-सीमा न बढ़ाने से पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि कुछ बेचैनी से समय-सीमा की समाप्ति से पूर्व अधिसूचनाएँ जारी करके और एफबीओ में जागरूकता लाकर निपटा जा सकता है।

12.3 इस बात पर चर्चा की गई कि समय-सीमा बढ़ाए जाने पर भी वह वृद्धि 6 महीने की न होकर 3 महीने की कम अवधि की ही हो, जिससे एफबीओ को यह संदेश मिल जाए कि यह समय-सीमा आखिरी बार के लिए है।

कार्यसूची 16.13

स्थानीय निकायों द्वारा लाइसेंस अप्राधिकृत रूप से दिया जाना

13.1 सीईओ, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से जाना कि क्या खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली द्वारा उठाई गई स्थानीय निकायों द्वारा लाइसेंस दिए जाने की समस्या अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी है। अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने नकारात्मक जवाब दिया।

13.2 यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।

कार्यसूची 16.14

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मामला

14.1 बैठक सीईओ, एफएसएसएआई को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

14.2 बैठक के दौरान उठे कार्रवाई के मुद्दे **अनुबंध 2** पर दिए गए हैं।

हस्ता/-

(राकेश सी शर्मा)

निदेशक (प्रवर्तन)

हस्ता/-

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई

अनुबंध-1

केंद्रीय सलाहकार समिति की दिनांक 3 फरवरी, 2016 को इंडिया हैबिटाट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में हुई 16वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने सीईओ, एफएसएसएआई एवं अध्यक्ष, सीएसी के अनुरोध पर बैठक में भाग लिया।

क. सीएसी के सदस्य:-

1. श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–अध्यक्ष, सीएसी

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त

2. श्री हेमंत राव, प्रधान सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन, उत्तर प्रदेश
3. श्री एच. जी. खोसला, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
4. श्री सलीम वेल्जी, निदेशक, एफडीए निदेशालय, गोआ
5. श्रीमती अनुपमा टी. वी., खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
6. पंकज अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश
7. डॉ. के. रोपारी, प्रधान निदेशक और खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मिजोरम
8. श्री हुसन लाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब
9. श्रीमती गोधूलि मुखर्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिमी बंगाल
10. बाबाजी चरणदास, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिशा

विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य (प्राइवेट सदस्य)

11. डॉ. एस. पी. वसीरेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष, विमटा लैब्स, हैदराबाद
12. श्री जॉर्ज चेरियन, निदेशक, कट्स इंटरनैशनल, जयपुर
13. श्री जसमीत सिंह, प्रमुख, खाद्य, फिक्की, दिल्ली
14. सुश्री पिंकी अग्रवाल, रिसर्च एसोसिएट, फिक्की, दिल्ली

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि

15. डॉ. अविजित रॉय, ओएसडी (एफएस), अंडेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
16. डॉ. परमानंद, संयुक्त आयुक्त, हरियाणा
17. श्री उदय एस. वनजारी, संयुक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, महाराष्ट्र
18. श्री गणेश पार्लिकर, खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त, महाराष्ट्र
19. डॉ. अश्विनी देवांगन, सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़
20. डॉ. के. श्रीनिवासा, संयुक्त निदेशक, कर्नाटक
21. श्रीमती लोतिका खजूरिया, नियंत्रक, औषध एवं खाद्य, जम्मू एवं कश्मीर
22. डॉ. नरेश किमाव, राज्य नोडल अधिकारी, पजाब
23. श्री सुखविंदर सिंह, डी ओ , चंडीगढ़
24. श्री सुनीति कुमार गुप्ता, डी ओ , दिल्ली
25. श्री एल. डी. ठाकुर, डी ओ , हिमाचल प्रदेश

26. श्री के. एस. रावत, डी ओ , उत्तराखंड

27. श्री आर. के. सिंह, ओएसडी, खाद्य सुरक्षा, बिहार

28. श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, संयुक्त नियंत्रक, मध्य प्रदेश

29. डॉ. क्ल्यूग्चाउ स्यामी, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मिजोरम

30. श्री सुनील कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मणिपुर

ख. मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रिति

31. श्रीमती रजनी सिबल, संयुक्त संचिव, डीएडीएफ, कृषि मंत्रालय

32. डॉ. अमिताव दत्त, अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, कार्यकारी निदेशक (स्वास्थ्य), रेल मंत्रालय

33. श्री आशीष वी गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

34. डॉ. जे. एच. पंवल, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

35. श्री के. बी. सुब्रमण्यन्, उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

36. डॉ. बी. जी. पांडियन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

37. डॉ. सुभाष गुप्ता, संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

38. श्री एस. के. पांडे, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

ग. विशेष आमंत्रिति

39. श्री बी. के. मिश्रा, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, विशेष आमंत्रिति

40. सुश्री मीतू कपूर, सीआईआई, विशेष आमंत्रिति

41. सुश्री निरुपमा, उप सचिव, पीएचडी चैंबर्स, विशेष आमंत्रिति

42. श्री डी. वी. माल्कर, कार्यकारी सचिव, आल इंडिया फूड प्रोसेर्स एसोसिएशन, विशेष आमंत्रिति

43. श्री आई. एन. मूर्ति, वरिष्ठ महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद

44. श्री श्रीधर डी, महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद

घ. एफएसएसएआई अधिकारी

45. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)

46. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स), एफएसएसएआई

47. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक (प्रवर्तन/जीए/प्रशिक्षण/निगरानी), एफएसएसएआई

48. डॉ. संध्या काबरा, निदेशक (विधि/गुणता आश्वासन), एफएसएसएआई

49. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (उत्पाद अनुमोदन)

50. श्री राघवेंद्र गुडा, परामर्शदाता, एफएसएसएआई

51. श्री तन्मय प्रसाद, सीआईटीओ, एफएसएसएआई

52. श्री अजय तिवारी, उपनिदेशक (गुणता आश्वासन), एफएसएसएआई

53. श्री ऐश कुमार, उपनिदेशक (प्रशिक्षण), एफएसएसएआई

54. श्री एस. अनूप, सहायक निदेशक (प्रवर्तन), एफएसएसएआई

55. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक (प्रवर्तन)

56. श्री एस. के. सुधाकर, सहायक निदेशक (आईईसी), एफएसएसएआई

57. श्री सुनील कुमार भदौरिया, सहायक निदेशक (स्थापना), एफएसएसएआई

58. श्री एस. मीणा, सहायक निदेशक (पीसी एवं जीए)

*किसी नाम की वर्तनी में हुई भूल गैर-इरादतन है, जिसके लिए खेद है।

बैठक के दौरान उठे कार्रवाई के मुद्दे

बैठक में हुई चर्चा के दौरान कार्रवाई के निम्नलिखित मुद्दे उठे:

क. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कार्रवाई के मुद्दे

1. राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्टाफ में कमी, एफबीओ की लाइसेंसिंग और पंजीकरण संबंधी आकलन प्रस्तुत करें और उन्हें दूर करने के कदम उठाएँ।
2. चंडीगढ़, महाराष्ट्र और गोआ राज्य शिकायत हैंडल करने के विवरण/एसओपी साझा करें।
3. राज्य/संघ शासित क्षेत्र कार्यसूची की मद संख्या 16.5 के विरुद्ध हुई चर्चानुसार लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण विनियम में संशोधन के बारे में अपनी टिप्पणियाँ दें।
4. डॉ. परमानंद, संयुक्त आयुक्त, हरियाणा प्रवर्तन तंत्र की जवाबदेही और नियंत्रण के संबंध में मार्गदर्शन प्रलेख बनाने और उसे अंतिम रूप देने के लिए समिति के गठन के लिए एसओपी तैयार करें।
5. राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने यहाँ एक प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए बजट अनुमान तैयार करें।
6. चंडीगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गोआ, गुजरात, मिज़ोरम अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में चलाई गई सभी आईईसी/जागरूकता निर्माण गतिविधियों की कार्रवाई योजना/रिपोर्ट भेजें।
7. राज्य/संघ शासित क्षेत्र आईईसी गतिविधियों के लिए छाँटे जाने वाले एनजीओ के बारे में विस्तृत सिफारिश भेजें और अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र से एक या अधिक प्रस्ताव भी भेजें।

ख. एफएसएसएआई के लिए कार्रवाई के मुद्दे

एफएसएसएआई भारतीय रेल और कोंकण रेल से संबंधित मुद्दे को हल करने और अन्य मुद्दों पर भी विचार करने के लिए भारतीय रेल अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करे।

ग. एनआईएसजी के लिए कार्रवाई के मुद्दे

एनआईएसजी डैटा को ऑनलाइन स्टोर करने और फिर उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने संबंधी व्यवहार्यता के विकल्प की जाँच करे।

घ. विमटा लैब्स के लिए कार्रवाई के मुद्दे

डॉ. वसीरेड्डी एनएबीएल प्रत्यायन लेने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की 4-5 प्रयोगशालाओं को तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव और राज्य खाद्य विश्लेषकों को एनएबीएल प्रत्यायन संबंधी अपेक्षाओं पर शिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय दौरे/कार्यशाला का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें।